प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता) बुक नं०
1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रवस्वरिव सं 62/22 दिनांक 25/2/22
2.(i) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियमधारायेंधारायें
(iii) अधिनियमधारायें
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या
(ख) अप <mark>राध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :— 24.02.2022 समय01.10 पीएम</mark>
(ग) थान <mark>ा</mark> पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक :— लिखित
5. घटनास <mark>्थ</mark> ल :– राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- सीकर से उत्तर-पूर्व दिशा में करीब 65 किलोमीटर
(ब) पता :- राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी / सूचनाकर्ताः—
(अ) नाम – श्री नाहरसिंह
(ब) पिता / पति का नाम :- श्री मांगुसिंह
(स) जन्म तिथि / वर्ष :- 48 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता— भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय :-
(ल) पता – निवासी गांव कुमास पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं।
(1) 4(1) 14 43 1(1) 3(1) 14 43 1(1) 43 1(1)
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :
श्री बल्लाराम पुत्र श्री हनुमानराम, उम्र–27 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव मिठडी, पुलिस
थाना नांवा जिला नागौर हाल सहायक लेखा लिपिक कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर
शुगर मील झुंझुनूं।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
9. चुराइ हुइ / लिप्त सम्पत्ति का विशिष्टिया (यदि अपनित हो तो आतारक्त पत्ना लगाय)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 5,000 रूपये
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर् अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
दिनांक 23.02.2022 को समय 1.24 पीएम पर ब्यूरो मुख्यालय के टोल फी
नम्बर 1064 से कॉल आने तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाने पर श्री जाकिर अख्तर
उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय 01.25 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9024905496 पर
कॉल कर सम्पर्क किया तथा परिवादी से आरएसजीएसएम मदिरालय झुंझुनूं के श्री बलराम
लेखाकार द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग किये जाने पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी
जाकर परिवादी के चाहेनुसार समय 02.00 पीएम पर कार्यालय के श्री दलीप कुमार कानि. को
कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर
बताये जाकर परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समझाने
तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवात्री की हिदायत

देकर रवाना झुंझुनूं किया गया था। उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को मामले से अवगत कराया जाकर मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही पुलिस

23.02.2022

7.30 पीएम इस समय श्री दलीप कुमार कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द के समक्ष परिवादी नाहरसिंह पुत्र श्री मांगुसिंह, उम्र-48 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी गांव कुमास पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " वर्ष 2019 में मेरी पत्नी श्रीमती रेखा के नाम गांव शेखसर जिला झुंझुनूं में कम्पोजिट शराब की दूकान आवंटित हुई थी। वर्ष 2020 में मार्च महिने में दिनांक 23.03.2020 को शराब उठाने के लिये मैने बैंक में 92964 रूपये जमा करवाये थे, परन्तु उस समय लॉकडाउन लगने के कारण शराब नहीं आवंटित की गई उसके बाद 31.03.2020 को कार्यकाल समाप्त हो गया था। मेरा उक्त शराब उठाने से संबंधित बैक के मार्फत आबकारी विभाग में जमा करवाये गये रूपये 92964 को वापिस लेने के लिये मैने आबकारी गोदाम रिको क्षेत्र झुंझुनूं के श्री बलराम लेखाकार से मिला तो उसने मेरे से पाँच हजार रूपये रिश्वत के देने की कही। मै उक्त श्री बलराम लेखाकार को रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ और उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें।" श्री दलीप कुमार कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " झुंझुनूं पहूँच मैने परिवादी से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई गई। परिवादी के चाहेनुसार आबकारी गोदाम रिको क्षेत्र के पास पहुँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के गोदाम से वापिस आने पर मैने परिवादी से टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। दौराने सत्यापन जरिये दुरभाष परिवादी ने आबकारी गोदाम झुंझुनूं के श्री बलराम लेखाकार द्वारा उसकी शराब उठाने से संबंधित राशि दिलवाने के लिये 5000 रूपये रिश्वत की मांग किया जाना बताया तथा रिश्वती राशि दिनांक 24.02.2022 को देने की कही थी। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा टेप की गई वार्ता को स्ननने पर रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा कार्नि. दलीप कुमार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुरक्षित आलमारी में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीकर के श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार कनिष्ठ सहायकगण को दिनांक 24.02.2022 को समय 8.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेत् जरिये तहरीर पाबन्द किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.02.2022 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सीकर से स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार किनष्ठ सहायकगण एवं परिवादी नाहरसिंह के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी से आवश्यक पूछताछ की गई। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी नाहरसिंह ने कानि. श्री दलीप कुमार को सुपुर्द किये गये प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये बताया कि ''दिनांक 25.02.2022 को मैने आबकारी गोदाम झुंझुनूं में जाकर श्री बलराम लेखाकार से वार्ता की तो उसने मेरे द्वारा शराब उढाने के पेटे आबकारी विभाग में जमा करवाये गये रूपयों का चैक वापिस देने के लिये मेरे से 5000 रूपये रिश्वत की मांग की तब मैने कहा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, चैक क्लियर होने के बाद पैसे दे दूंगा, तब उन्होंने मेरे को 92,964 रूपयों का चैक देकर कहा कि पैसे कल दे देना'' परिवादी ने बताया कि मै शराब की दूकानों के संचालन का कार्य करता हूँ, अब यदि श्री बलराम लेखाकार को रिश्वत के 5000 रूपये नहीं दूंगा तो वह आईन्दा मेरे काम में अडचले पैदा कर सकता है। तत्पश्चात परिवादी नाहरसिंह एवं स्वतंत्र गवाहान श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार किनष्ठ सहायकगण का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढ़कर सुनाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामलें में गवाह रहने हेतु सहमित प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी नाहर सिंह द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 23.02.2022 को आरोपी श्री बलराम लेखाकार आबकारी गोदाम झुंझुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसका परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजुह सबूत

कब्जा एसी बी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी नाहरसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक आरएसजीएसएम झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी नाहरसिंह ने हिदायत देने पर आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक को रिश्वत में दिये जाने वाले 10 नोट पांच—पांच सौ रूपये के कुल 5,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :—

1-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 KF 790608 2-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 SV 336034 3-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 KF 790586 4-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 KF 790534 5-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 KF 790594 6-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 NC 689387 7-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 EE 108655 8-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 FF 976079 9-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 QF 918778 10-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 EE 108654

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री कैलाशचन्द कानि. 386 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री राकेश कुमार से परिवादी श्री नाहरसिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तू नहीं रहने दी गई। फ़िनोफ्थलीन पाऊडर लगे 5,000 रूपयों के नोट श्री कैलाशचन्द कानि. 386 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री कैलाशचन्द कानि. 386 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री कैलाशचन्द कानि. 386 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतू काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेत् कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी नाहरसिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 11.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द मय परिवादी नाहरसिंह, गवाहान श्री रविन्द्रसिंह एवं श्री राकेश कुमार किनेष्ठ सहायकगण एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री रामनिवास कानि. नं. 485, श्री दलीप कुमार कानि., श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के श्री जािकर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया जाकर मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर जिरये सरकारी एवं प्राईवेट वाहन से सीकर से रवाना होकर आरएसजीएसएम झुंझुनूं के पास पहूँचा जहाँ वाहनों को साईड में किवाकर परिवादी को आरएसजीएसएम गोदाम की तरफ रवाना किया गया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहनों में मुकिम हुआ।

समय 1.06 पीएम पर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनू के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क पर करीब 100 मीटर दूरी पर वाहनों में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी नाहरसिंह द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर कॉल करने का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनू के मुख्य दरवाजे के पास पहूँच गोदाम के अन्दर

3

प्रवेश हुये जहाँ मुख्य दरवाजे के पूर्व दिशा की तरफ बने कमरे के सामने परिवादी खडा मिला जिसने कमरे में गेट के पास वाली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा की बताया कि ''यहीं बलरामजी लेखाकार है, इन्होने अभी-अभी मेरे से 5000 रूपये रिश्वत के अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे हैं'' इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम बलराम सहायक लेखा लिपिक आरएसजीएसएम झुंझुनूं होना बताते हुये कहा कि ''मैने इससे कोई रूपये नहीं है, फिर कहा कि इसने मेरे को पढाई के लिये मदद करने के रूप में दिये है। मौके पर परिवादी नाहरसिंह ने बलराम सहायक लेखा लिपिक के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि" मैने इनको पढाई के लिये कोई रूपये नहीं दिये है, कल दिनांक 23.02.2022 को जब मैने इनको मेरे द्वारा पूर्व में शराब उठाने के लिये जरिये बैक इनके विभाग में जमा करवाये गये रूपयों को वापिस लेना चाहा तो इन्होने मेरे से पाँच हजार रूपये रिश्वत की मांग की, तब मैने कहा कि मेरे पास अभी रूपये नहीं है तब इन्होने मेरे को मेरा 92964 रूपयों का चैक देकर कहा कि मेरे पॉच हजार रूपये कल दे देना'' इस पर श्री रामनिवास कानि. से आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक के दाहिने हाथ एवं श्री मूलचन्द कानि. से आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक के बायें हाथ को कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात दो साफ कांच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर−1 एंव आर−2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल−1, एल−2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक को परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर इसने अपने पहनी हुई पेन्ट की सामने दाहिनी जेब से निकालकर रूपये पेश किये, जिनको गवाह श्री राकेश कुमार से गिनवाये गये तो देशनोट पाँच-पाँच सौ रूपये के कुल 5,000 रूपये पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज पर सिलवाकर सील्ड करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास को व श्री रामनिवास कानि. के दोनों हाथों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर जेब का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलबी हो गया, जिन्हे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उ<mark>नमें आधा–आधा डलवाकर शीशीयों को मार्क पी–1 व पी–2 से सील्ड कर</mark> संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक की पेन्ट की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो अन्य कोई सामान नहीं मिला। उक्त पेन्ट जिन्स ब्लेक कलर की दाहिनी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ''बी'' अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक से परिवादी नाहरसिंह के रूपयों के बारे में पूछा तो बताया कि 'वर्ष 2019—20 के दौरान इसने शराब उठाने के लिये रूपये जमा करवाये थे, जिनको वापिस दिलवाने के लिये मुख्यालय जयपुर से स्वीकृती लेकर मैने इनका चैक दिनांक 22.02.2022 को तैयार कर दिया था तथा इनको कल दिनांक 23.02.2022 को मैने चैक दे दिया था।'' आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक ने निर्देश देने पर मुख्यालय जयपुर की स्वीकृति क्रमांक 38000 दिनांक 11.01.2022 तथा दिनांक 22.02.2022 में चैक नम्बर 000903

राशि 92964 जारी करने संबंधी डिटेल जो चैक बुक में इन्द्राज है, पेश किये जिनकी फोटो प्रति करवाकर श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी जीएसएम से प्रमाणित करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर—1, आर—2, एल—1, एल—2, पी—1, पी—2, सील्ड रिश्वती राशि के कागज एंव सील्ड पेन्ट के पैकेट मार्क ''बी'' एवं परिवादी के राशि रिफण्ड से संबंधित स्वीकृति एवं चैक जारी करने संबंधी डिटेल पर मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका पृथक से तैयार किया गया। तत्यश्चात परिवादी नाहरसिंह द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 24.

02.2022 को परिवादी की आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक, आरएसजीएसएम झुंझुनूं से हुई बानचीत को परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी नाहरसिंह ने स्वंय की व आरोपी श्री बलराम सहायक लेखा लिपिक, आरएसजीएसएम झुंझुनूं की आवाजों की पहचान की। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को झुंझुनूं में छोडा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर झुंझुनूं से रवाना होकर सीकर पहूँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री बल्लाराम पुत्र श्री हनुमानराम, उम्र–27 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव मिठडी, पुलिस थाना नांवा जिला नागौर हाल सहायक लेखा लिपिक कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री नाहरसिंह की पत्नी के नाम आवंटित कम्पोजिट शराब की दूकान पर शराब उठाने के लिये माह मार्च 2020 में जमा करवाये रूपयों को वापिस रिफण्ड करवाने की एवज में दिनांक 23.02.2022 को परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 24.02.2022 को परिवादी से 5,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है। उक्त श्री बल्लाराम सहायक लेखा लिपिक का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री बल्लाराम सहायक लेखा लिपिक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुंझुनूं के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री ब्ल्ल्याम, सहायक लेखा लिपिक, कार्यालय राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मील झुन्झुनू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 62/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भुष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 568-72 दिनांक 25.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. महाप्रबन्धक, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. चौथी मंजिल नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड़ जयपुर।
- 4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भुष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।